

श्री चित्र गुप्त मिडिल स्कूल, टीकली को मिडिल स्तर तक की स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय के प्रबन्धांक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेगीर ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेगी ।
2. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा- 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों को पूर्ण करेगी ।
3. विद्यालय विभाग द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली विधायतों की पालना करेगी ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा सक्ट 1995 की धारा- 4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा उनके जो भी धारा नियम बनें वह विद्यालय को मान्य होंगे ।
5. विद्यालय हरियाणा शिक्षा संहिता के नार्म अनुसार छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित दर के आधार पर रैड ब्रास, बास कल्याण तथा स्पोर्ट्स निधि एवं रजिस्ट्रेशन/ कोटा मनी फीस प्रत्येक वर्क इस कार्यालय में जमा करायेगा ।
6. विद्यालय/ समिति हरियाणा संशोधित शिक्षा संहिता को धारा 17.5 के अनुसार आडिट करवा कर लेखा प्ररिक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रति वर्क प्रस्तुत करेगा ।
7. पट्टानामा को समाप्ति से तीन वर्क प्रारंभ पूर्व एमि/ धवन, स्कूल समिति के नाम करवाना होगा ।
8. विद्यालय में अध्यापकों के वेतन का सुगतान ब्रास चेक द्वारा किया जायेगा ।
9. विद्यालय अपने संविधान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो इस कार्यालय से अनुमोदन करवाना होगा तथा संविधान के अनुसार कार्यवाही करनी होगी ।
10. नियुक्तियों में आरक्षण नीति का ध्यान रखा जायेगा ।
11. 55000/- सारि एव मास के कन्डर जमा होगा तथा शेष धुण सारि एव गणना करके चार समान किताबों में जमा करेगा ।

Sy
Principal
Shri Chitragupt Sec. School
Village Teekli, Gurugram
(Permanent Recognised)

[Signature]
Chairman
Shri Chitragupt Education Society
दिनांक: Gurgaon
शिक्षा अधिकारी,
गुडगावा
15/9/00

- प्रति निम्नलिखित को सूचनाई प्रेषित है :-
1. निदेशक, रीक्रेडरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
 2. सचिव डी. वि. सी. कोड मिवासी
 3. समस्त जे. सी. आर. डी. सूअ